न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पिठासीन अधिकारी–श्री श्योराम वर्मा आरएएस

नामा.अपिल सं. 2/16

1. श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री स्व. हेमाराम पत्नी गिरधारीराम जाति जाट निवासी ग्राम ऊन्टालड तहसील बीदासर जिला चूरू।

अपिलान्ट

बनाम

1. शान्ति पत्नी स्व. रेवन्तनाथ जाति सिद्व निवासी ग्राम ऊन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
2. मालनाथ पुत्र स्व. रेवन्तनाथ जाति सिद्व निवासी ग्राम ऊन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
3. लालनाथ पुत्र स्व. रेवन्तनाथ जाति सिद्व निवासी ग्राम ऊन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
4. रेणका पुत्री स्व. रेवन्तनाथ जाति सिद्व निवासी ग्राम ऊन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
5. भैरनाथ पुत्र स्व. रेवन्तनाथ जाति सिद्व निवासी ग्राम ऊन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
6. गीता पुत्री स्व. रेवन्तनाथ जाति सिद्व निवासी ग्राम ऊन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
7. गणपतनाथ पुत्र स्व. रेवन्तनाथ जाति सिद्व निवासी ग्राम ऊन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
8. भगवती पुत्री स्व. रेवन्तनाथ जाति सिद्व निवासी ग्राम ऊन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
9. सरपंच ग्राम पंचायत ऊन्टालड़ पंचायत समिति बीदासर जिला चूरू।

रेस्पोडेन्टस

अपील नामान्तकरण

उपस्थिति– श्री रघुवीर भामू एडवोकेट अपिलान्ट की ओर से
श्री रामसिंह राठौड़ एडवोकेट व अमरसिंह राठौड एडवोकेट
रेस्पोडेन्ट सं. 01 ता 08 की ओर से

निर्णय

दिनांक 11-04-2022

अपिल के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपिलान्ट के पिता स्व. हेमाराम के खातेदारी कब्जा काश्त के खेत खसरा सं. 416 तादादी 30 बीघा 05 बिश्वा खसरा सं. 365 तादादी 4 बीघा 02 बिश्वा खसरा सं. 471 तादादी 01 बीघा खसरा सं. 621/424 तादादी 28 बीघा 16 बिश्वा खसरा सं. 434 तादादी 06 बीघा 05 बिश्वा व खसरा सं. 620/424 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा कुल तादादी 80 बीघा वाके रोही ग्राम ऊन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू मे स्थित है। उक्त भूमि मे अपिलान्ट व उसकी माता मोहनीदेवी का बराबर बराबर 1/2 हिस्सा स्थित है तथा वाद गत खेतो मेसे अपिलान्ट व उसकी माता मोहनीदेवी ने खेत खसरा सं. 416 तादादी 30 बीघा 05 बिश्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/02/2003 को जैसाराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी ऊन्टालड़ को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था तथा खेत खसरा सं. 365 तादादी 04 बीघा 02 बिश्वा खेत खसरा सं. 434 तादादी 06 बीघा 05 बिश्वा खेत खसरा सं. 471 तादादी 01 बीघा कुल तादादी 11 बीघा 07 बिश्वा वाके रोही ऊन्टालड़ की भूमि को अपिलान्ट व उसकी माता मोहनीदेवी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/02/2003 को हेमाराम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी ऊन्टालड़ को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था इसी प्रकार खेत खसरा सं. 424 तादादी 38 बीघा 08 बिश्वा वाके रोही ऊन्टालड़ की भूमि मेसे अपिलान्ट भंवरीदेवी ने अपने सम्पूर्ण 3/4 हिस्सा पांती की (28 बीघा 16 बिश्वा) भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक

लगातार.........2

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

01/02/2003 को हेमाराम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी ऊन्टालड़ को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था तथा खेत खसरा सं. 424 की शेष भूमि तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा अर्थात 1/4 हिस्सा की भूमि अपिलान्ट की माता मोहनीदेवी की रही थी खेत खसरा सं. 424 की भूमि मेरो अपिलान्ट द्वारा अपना हिस्सा विक्रय करने के पश्चात हेमाराम के नाम 621/424 की खातेदारी दर्ज हुई व शेष भूमि की खातेदारी खसरा सं. 624/421 की खातेदारी मोहनीदेवी के नाम अलग से दर्ज कर दी गई वादगत खेत खसरा सं. 620/424 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही ऊन्टालड़ की भूमि मे अपिलान्ट के पिता स्व. हेमाराम के स्वर्गवास के बाद राजस्व कर्मचारियो की गफलत व लापरवाही के कारण मोहनीदेवी अकेली के नाम से राजस्व रिकॅार्ड मे नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया जबकी अपिलान्ट वादगत भूमि मे 1/2 हिस्सा की खातेदार थी वादगत खेत भूमि पुश्तैनी थी अपिलान्ट के मुकाबले राजस्व रिकॅार्ड गलत व शून्य है। राजस्व वाद सं. 103/2007 अनुवानी भंवरीदेवी बनाम गंगादेवी आदि दर्ज हुआ है। वादगत भूमि की गलत खातेदारी के आधार पर अपिलान्ट की माता मोहनीदेवी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30/11/2007 को खेत खसरा सं. 620/424 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही ऊन्टालड़ की भूमि को रेस्पोडेन्ट सं. 01 ता 08 के पति व पिता रेवन्तनाथ पुत्र चौखनाथ जाति सिद्व निवासी ऊन्टालड तहसील बीदासर जिला चूरू को विक्रय कर कब्जा दुखल संभला दिया था जिसकी जानकारी अपिलान्ट को नही थी रेस्पोडेन्ट सं. 01 ता 08 ने दिनांक 05/10/2016 को अपिलान्ट को कहां की वादगत भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॅार्ड मे हमने दर्ज करवा ली है तथा अपिलान्ट को शिघ्र ही बदेखल करेंगे वादगत खेत के राजस्व रिकॅार्ड की हल्का पटवारी से जानकारी प्राप्त कर दिनांक 07/10/2016 को नकल प्राप्त की तब अपिलान्ट की जानकारी हुई तथा राजस्व कर्मचारियो ने रेस्पोडेन्ट सं. 01 ता 08 के पति/पिता स्व. रेवन्तनाथ के नाम से नामान्तकरण सं. 1192 व रेस्पोडेन्ट सं. 01 ता 08 के नाम से नामान्तकरण सं. 1193 बिना मौके की जांच किये दर्ज किया गया नामान्तकरण सं. 1192 रेस्पोडेन्ट सं. 09 ने दिनांक 20/07/2014 को व नामान्तकरण सं. 1193 दिनांक 20/07/2016 को स्वीकृत कर तस्दीक कर दिया जो गलत किया गया अपिलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया दिनांक 20/07/2016 से लेकर दिनांक 13/10/2016 की अवधी को माफ नही किया गया था तो अपिलान्ट को अपूरनिय क्षति होगी इससे पहले उक्त नामान्तकरण सं. 1192 व 1193 बाबत अपिलान्ट को कोई जानकारी नही थी अपिलान्ट की अपिल जानकारी से मियाद मे पेश की गई हैं।

अपिल दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया रेस्पोडेन्ट सं. 01 ता 03 की ओर से एडवोकेट उपस्थित आये शेष रेस्टपोडेन्ट सं. 04 ता 08 के विरूद्व अपिल नाबालिग के विरूद्व पेश की गई हैं इस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपति दर्ज करवाई ओर आपति मे कथन किया कि नाबालिग के विरूद्व बिना वादमित्र/संरक्षक के अपिल प्रस्तुत नही की जा सकती है। अपिल खारिज योग्य है।

बहस सुनी गई। अपिल मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपिलान्ट के अधिवक्ता ने कथन किया की वादगत खेत खसरा सं. 620/424 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही ऊन्टालड़ की भूमि मे अपिलान्ट व उसकी माता मोहनीदेवी का ब0हि0बराबर था तथा अपिलान्ट की माता मोहनीदेवी को वादगत भूमि अकेली को विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नही था वादगत भूमि खेत खसरा सं. 620/424 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा अपिलान्ट की माता मोहनीदेवी ने दिनांक 30/11/2007 को को रेस्टपोडेन्ट सं. 01 ता 08 के पति/पिता को विक्रय करने के पश्चात नामान्तकरण सं. 1192 व 1193 गलत दर्ज हुआ है जो निरस्त योग्य है। अपिलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपिल अवधी भीतर स्वीकार फरवाई जावे तथा अपिलान्ट की अपिल स्वीकार की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 01 ता 03 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया की खेत खसरा सं. 416 तादादी 30 बीघा 05 बिश्वा खसरा सं. 365 तादादी 4 बीघा 02 बिश्वा खसरा सं. 471 तादादी 01 बीघा खसरा सं. 621/424 तादादी 28 बीघा 16 बिश्वा खसरा सं. 434 तादादी 06 बीघा 05 बिश्वा व खसरा सं. 620/424 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा कुल तादादी 80 बीघा वाके रोही ग्राम ऊन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू की भूमि हेमाराम व लिखाराम पुत्रान लालूराम जाति जाट के नाम ब0हि0 बराबर भूमि थी तथा हेमारा के स्वर्गवास के बाद वाद गत

लगातार.........3

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

खसराजात की भूमि मे अपिलान्ट व उसकी माता मोहनदेवी का 1/2 हिस्सा रहा तथा राह खातेदार लिखमाराम पुत्र लालूराम का 1/2 हिस्सा रहा। वादगत खसराजात की भूमि मेसे लिखमाराम पुत्र लालूराम ने अपने सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा भूमि को जरिये पंजीकृत हक परित्याग पत्र दिनांक 15/01/2002 को अपिलान्ट भंवरीदेवी पुत्री हेमाराम जाति जाट निवासी ऊन्टालड़ के पक्ष मे हकत्याग कर दिया इस प्रकार सम्पूर्ण वादगत खसराजात की भूमि अपिलान्ट भंवरीदेवी का 3/4 हिस्सा व अपिलान्ट की माता मोहनीदेवी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो गया कालान्तर मे अपिलान्ट व अपिलान्ट की माता मोहनीदेवी ने खेत खसरा सं. 416 तादादी 30 बीघा 05 बिश्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/02/2003 को जैसाराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी ऊन्टालड़ को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था तथा खेत खसरा सं. 365 तादादी 04 बीघा 02 बिश्वा खेत खसरा सं. 434 तादादी 06 बीघा 05 बिश्वा खेत खसरा सं. 471 तादादी 01 बीघा कुल तादादी 11 बीघा 07 बिश्वा वाके रोही ऊन्टालड़ की भूमि को अपिलान्ट व उसकी माता मोहनीदेवी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/02/2003 को हेमाराम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी ऊन्टालड़ को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था इसी प्रकार खेत खसरा सं 424 तादादी 38 बीघा 08 बिश्वा वाके रोही ऊन्टालड़ की भूमि मेसे अपिलान्ट भंवरीदेवी ने अपने सम्पूर्ण 3/4 हिस्सा पांती की (28 बीघा 16 बिश्वा) भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/02/2003 को हेमाराम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी ऊन्टालड़ को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था तथा खेत खसरा सं. 424 की शेष भूमि तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा अर्थात 1/4 हिस्सा की भूमि अपिलान्ट की माता मोहनीदेवी की रही थी खेत खसरा सं. 424 की भूमि मेसे अपिलान्ट द्वारा अपना हिस्सा विक्रय करने के पश्चात हेमाराम के नाम 621/424 की खातेदारी दर्ज हुई व शेष भूमि की खातेदारी खसरा सं. 624/421 की खातेदारी मोहनीदेवी के नाम अलग से दर्ज कर दी गई इस प्रकार उपर वर्णित खसराजात की भूमि मे से अपिलान्ट ने भिन्न भिन्न व्यक्तियो को विक्रय करने पश्चात अपिलान्ट का हिस्सा शेष नही रहा अपिलान्ट की माता मोहनीदेवी ने भी अपने हिस्सा की भूमि साधिकार पूर्वक विक्रय करने के पश्चात वादगत की भूमि मे अपिलान्ट व अपिलान्ट की माता मोहनीदेवी का कोई हिस्सा शेष नही रहा है। वादगत भूमि खेत खसरा सं. 620/424 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा मोहनदेवी द्वारा विक्रय कर कब्जा दखल रेस्पोडेन्ट सं. 01 ता 08 के पति/पिता को संभलाने के बाद से वादगत भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग रेवन्तनाथ पुत्र चौखनाथ जाति सिद्व निवासी ऊन्टालड़ का रहा तथा रेवन्तनाथ के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं. 01 ता 08 का कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 04 ता 08 नाबालिग है। नाबालिग के विरूद्व बिना सरंक्षक व वादमित्र के अपिल प्रस्तुन नही की जा सकती है। अपिल विधी विरूद्व पेश की गई है तथा अपिल निराधार होने के कारण खारिज योग्य है। वादगत भूमि क सम्बन्ध मे अपिलान्ट की माता मोहनीदेवी पत्नी हेमाराम जाति जाट निवासी ऊन्टालड़ ने माननिय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर मे एक एसबी सिविल रिट पिटीशन नं. 13397/2015 अपिलान्ट भंवरीदेवी आदि के विरूद्व पेश की थी उक्त रिट को माननिय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 11/08/2016 को स्वीकार फरमाते हुए आदेश पारित किया की खेत खसरा सं. 620/424 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा भूमि मे मोहनदेवी के अलावा भंवरीदेवी का कोई हक हिस्सा शेष नही रहा हैं भंवरीदेवी ने अपने हिस्से पांती की सम्पूर्ण 60 बीघा भूमि को विक्रय कर दिया है। नामान्तकरण सं. 1192 दिनांक 20/07/2014 को तस्दीक नहीं किया गया है इस प्रकार के कथन अपिलान्ट ने निराधार अकित किया है अपिलान्ट को नामान्तकरण कब दर्ज हुआ इस बाबत कोई जानकारी नही रही अपिलान्ट ने मिथ्या कथन किया है। नामान्तकरण सं. 1192 दिनांक 20/07/2014 को तस्दीक नही किया गया है इस प्रकार वादगत खसराजात की भूमि के सम्बन्ध मे अपिलान्ट को अपिल प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। अपिल खारिज फरवाई जावे।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक सुक्ष्मता से अवलोकन किया पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया पत्रावली पर मोजूद दस्तावेजात के आधार पर वादगत खेत खसरा सं. 416 तादादी 30 बीघा 05 बिश्वा खसरा सं. 365

लगातार.......4

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

तादादी 4 बीघा 02 बिश्वा खसरा सं. 471 तादादी 01 बीघा खसरा सं. 621/424 तादादी 28 बीघा 16 बिश्वा खसरा सं. 434 तादादी 06 बीघा 05 बिश्वा व खसरा सं. 620/424 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा कुल तादादी 80 बीघा वाके रोही ग्राम ऊन्टालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू की भूमि हेमाराम लिखमाराम पुत्रगण लालूराम जाति जाट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थी तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्रो के आधार पर अपिलान्ट व उसकी माता मोहनीदेवी ने खेत खसरा सं. 416 तादादी 30 बीघा 05 बिश्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/02/2003 को जैसाराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी ऊन्टालड़ को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था तथा खेत खसरा सं. 365 तादादी 04 बीघा 02 बिश्वा खेत खसरा सं. 434 तादादी 06 बीघा 05 बिश्वा खेत खसरा सं. 471 तादादी 01 बीघा कुल तादादी 11 बीघा 07 बिश्वा वाके रोही ऊन्टालड़ की भूमि को अपिलान्ट व उसकी माता मोहनीदेवी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/02/2003 को हेमाराम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी ऊन्टालड़ को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था इसी प्रकार खेत खसरा सं. 424 तादादी 38 बीघा 08 बिश्वा वाके रोही ऊन्टालड़ की भूमि मेसे अपिलान्ट भंवरीदेवी ने अपने सम्पूर्ण 3/4 हिस्सा पांती की (28 बीघा 16 बिश्वा) भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/02/2003 को हेमाराम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी ऊन्टालड़ को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था तथा खेत खसरा सं. 424 की शेष भूमि तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा अर्थात 1/4 हिस्सा की भूमि अपिलान्ट की माता मोहनीदेवी की रही थी अपिलान्ट की माता मोहनदेवी ने खेत खसरा सं. 620/424 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही ऊन्टालड़ की भूमि को रेवन्तनाथ पुत्र चोखनाथ जाति सिद्व निवासी ऊन्टालड़ को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30/11/2007 को विक्रय कर कब्जा दखल सम्भला दिया था वादगत खसराजात की भूमि मे अपिलान्ट का कोई भी हक हिस्सा शेष नही रहा है तथा माननिय उच्च न्यायालय जोधपुर मे प्रस्तुत रिट पिटीशन सं. 13397/2015 आदेश दिनांक 11/08/2016 की प्रति प्रस्तुत की गई है उससे भी यह पूर्ण रूप से साबित है कि वादगत भूमि मे अपिलान्ट का कोई भी हक हिस्सा शेष नही रहा है। अपिलान्ट ने वादगत भूमि मेसे अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा की भूमि को भिन्न भिन्न व्यक्तियो को विक्रय कर दिया है। प्रथम दृश्टया अपिलान्ट को अपिल प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। अपिलान्ट की अपिल विधी विरूद्व व निराधार होने के कारण उपरोक्त विवेचना के आधार पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11-04-2022 को खुल न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू